

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

दिनांक : 25.4.19

क्रमांक : 117

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- Diversion of 2.50 ha of forest land for construction of (Online Proposal No :- FP/RAJ/ROAD/6996/2014) road from Bhanwargarh to Ranwasi under RKSMIP in Raj. In Baran Forest Division.

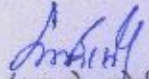
प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/17-18 9442-44 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.सं. शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्तर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.50 है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए गणनासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.50 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.50 है० X 164100/- रु. प्रति हेक्टर की दर से राशि 410250/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कापोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन.पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तादोपरान्त ही निश्चित स्वीकृति पर विचार किया	शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.50 है० X Rs. 6.28 लाख प्रति है०) की दर से राशि रु. 1565000/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.4.19 को चालान द्वारा कापोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। (ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

	जाएगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टैकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया आयेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. प्लिनरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टैकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। मक डिस्पोजल योजना कार्य अनुमति (Working Permission) के पूर्व प्रेषित की जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु अण्डर टैकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं करने की अण्डर टैकिंग प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त संख्या 7 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टैकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 8	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रमाणीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।


 (आर.के. सोनी)
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

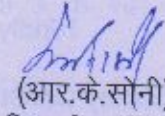
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।



(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

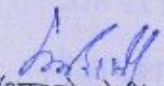
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ग) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

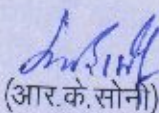
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।



(आर.के. सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

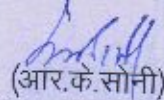
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं किया जायेगा।


(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

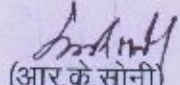
क्रमांक :

दिनांक : 25.04.2019

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि भंवरगढ़ से रनवासी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सौद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

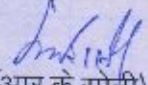
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारा (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 26-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारा द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारा के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/8814-20 दिनांक 18.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई हैं।

उप वन संरक्षक, बारा द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उपस/14-15/18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 8528-20 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं०	रकबा (हे०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड़
			41	5.00	बंजड़
			42	6.52	बंजड़
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	6.56	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड़
			138	10.81	बंजड़
			149	3.03	बंजड़
2		सरसन	8 किता	62.24	गैर मुमकिन बरडा
			1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1176	19.15	गैर मुमकिन बरडा
3		ताखा	2 किता	38.91	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	2.25	गैर मुमकिन बरडा
				103.40 हे०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दराजद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)

जिला कलक्टर

बारा

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 26-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- निम्न की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारा।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख में कि आरक्षित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दराजद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारा।
7. रक्षित फाइल।

जिला कलक्टर

बारा

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (In hectare)	Remark
Old Cases			3	4	6	18
1	Chhabra	Chipabarad	PMGSY	पाटरी से भटगाव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	भागोनी से मोहनपुर योग	2.60	
New Cases					4.10	
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	डिंगलोड से भदनाखेड़ी बाया हरिपुर	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054 / SHW	कोटा धरनागडा सडक	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटलोडा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नाघोपुरा से जेतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	दिकोनिया से तलावडा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरुपुरा से दिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिही से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी 573/0 से घुआ	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	करवाथाना से बगनवा	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	जनी केदारकुई से सिलोरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खालदा से हरिपुर	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाडा से किरानपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलाकी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा आंग से भटन	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से गुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भवराड से रनवासी	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगड काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकड़ाई से मामली बाया दुर्जनपुरा	1.00	
26	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	रामली लक्ष्मीपुरा गटपडी सडक	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर भुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
1	2		3	4	5	6
29	NH Division	Atru		खेडली गांविया		18
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.02	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	1.21	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	0.44	
33	NH Division	Chipabarod		नदापुरा	1.66	
				योग	4.92	
				कुल योग	98.24	
					102.34	

Handwritten signature

(मुनिल माधुर)
अधीक्षक अभियंता
साठविठो वृक्ष बोरा

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two
Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two
Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment done by
T.V.No - 3749
23/4/19

उपकीर्णधिकारी
शाहबाद (जिला-बारा)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

T.V. No. - 3749
23/4/19

उपकीर्णधिकारी
शाहाबाद (जिला-बारा)